संख्या–2207/62–2–2012–2/3(14)/2012

प्रेषक,

संजीव दूबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 03 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2012

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम की आयोजनेत्तर पक्ष में अन्य व्यय अधिष्ठान की मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष आठ माहों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या–765/ल0सिं0/बजट–आयोजनेत्तर/2012–13, दिनांक 16.07.2012, शासन के पत्र संख्या–650/62–2–2012–2/3(14)/2012, दिनांक 04.04.2012 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम की आयोजनेत्तर पक्ष में चालू योजनाओं हेतु अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में प्राविधानित धनराशि ₹ 1,25,14,39,000/– (रूपया एक सौ पच्चीस करोड़ चौदह लाख उन्तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष आठ माहों हेतु ₹ 83,29,59,000/– (रू0 तिरासी करोड़ उन्तीस लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

2. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव दूबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2207(1)/62–2–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकादारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
4–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
5–निदेशक, सूचना।
6–एन0आई0सी0 की प्रति।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

Nan Plan-16–12-13

शासनादेश संख्या– /62–2–2012–2/3(14)/2012, दिनांक जुलाई, 2012 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 मुख्य शीर्षक 2702–लघु सिंचाई–आयोजनेत्तर–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–03–लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष आठ माहों हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण।

(हजार रूपये में)

कोड	मानक मद	सम्पूर्ण बजट	चार माहों हेतु अवमुक्त धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित अवशेष 08 माहों हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
01	वेतन	687653	229223	458430
03	मँहगाई भत्ता	474481	158160	316321
04	यात्रा व्यय	14142	4714	9428
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200	66	134
06	अन्य भत्ते	46474	15491	30983
08	कार्यालय व्यय	1000	333	667
09	विद्युत देय	3000	1000	2000
10	जलकर/जल प्रभार	300	100	200
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	720	240	480
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	166	334
13	टेलीफोन पर व्यय	600	200	400
14	मोटर गाड़ियों का क्रय	1864	621	1243
15	गाड़ियों का अनु0 और पेट्रोल आदि की खरीद	6160	2053	4107
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	333	667
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	2000	666	1334
29	अनुरक्षण	2000	6666	0
42	अन्य व्यय	50	16	34
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	275	91	184
45	अवकाश यात्रा व्यय	400	133	267
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधित स्टेशनरी का क्रय	500	167	333
49	चिकित्सा व्यय	8000	2667	5333
51	वर्दी व्यय	120	40	80
	योग–03	1251439	423146	832959

(रू0 तिरासी करोड़ उन्तीस लाख उन्सठ हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।